कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/8वीं बोर्ड/2015–16/३नन   दिनांक :– ७।१।१६

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा
(समस्त)

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकतालिका मय प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकतालिका मय प्रमाण पत्र में बालक के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्मतिथि तथा एस.आर. नम्बर आदि में हुई किसी भी तरह की त्रुटि की स्थिति में उसके निराकरण हेतु शाला के एस.आर. रजिस्टर में बालक की समस्त प्रविष्टियों से मिलान कर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा वांछित संशोधन किए जायेगें तथा मूल प्रमाण पत्र में जहां संशोधन किया जाए वहां शाला प्रधानाध्यापक द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर व विद्यालय की एक लाईन की मोहर अंकित की जायेगी । संस्था प्रधान द्वारा किए गए इस प्रकार के संशोधन की सूचना मय एस.आर रजिस्टर में छात्र प्रविष्टि की छाया प्रति संलग्न कर प्रधानाचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) एवं सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।

इस संबंध में निर्देशानुसार आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावें साथ ही जिन शालाओं की अंकतालिकाओं में मान्यता क्रमांक अंकित नहीं किये गये है उनकी मान्यता की प्रति लेकर ही शाला को अंकतालिका उपलब्ध करवाई जावे ।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक के विद्यालयों के सम्बन्ध में उक्त निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें ।
2. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (समस्त) ।
3. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं, राजस्थान बीकानेर ।
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (समस्त) ।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

Email:- direleshaladarshan@gmail.com Phone : 0151.

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / ए / 19402 / वो.–2 / 5वीं परीक्षा / 2016 / L-2 दिनांकः– 05.07.17

प्राचार्य
डाईट समस्त

विषय :–प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण–पत्र/ अंकतालिका में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण–पत्र/ अंकतालिका में किसी तरह की त्रुटि (बालक के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्मतिथि तथा एस.आर. नम्बर आदि) की स्थिति में उक्त दोनों परीक्षाओं के संबंध में इस कार्यालय के माध्यम से पूर्व में प्रसारित श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.16 को आयोजित हुई बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.10.2016 के बिन्दु संख्या 7 एवं इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्रांकः शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / एबी / 8वीं बोर्ड / 2015–16 / 377 दिनांकः 07.09.16 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / ए / 19402 / वो.–2 / 5वीं परीक्षा / 2016 / L-2 दिनांकः– 05.07.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के संबंधित विद्यालयों में उक्त निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।

2– उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

3– पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।

4– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

165
6-7-17
BEEO/HMUPS/PS
कार्यवाही की जावे।

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कुचामन सिटी नागौर

क्रमांकः–डाइट/कुचा/5वी/2018/228 दिनांक 27.06.2018

समस्त बीईईओ
जिला नागौर

विषय : प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 (5वीं बोर्ड) के ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र व मूल्यांकन पत्रक TR में संशोधन बावत।

प्रसंग :– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/8वींबोर्ड/ 2015–16/377 दिनांक–07.09.2016 एवं शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/ए/19402/वो–2/5वीं परीक्षा/2016/L–2/ दिनांक 05.07.2017 के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 के ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र व TR में परीक्षार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एस आर नम्बर आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में उसे दुरूस्त करने हेतु शाला एसआर रजिस्टर से छात्र की समस्त प्रविष्टियों का मिलान कर सम्बन्धित संस्थाप्रधान द्वारा त्रुटि पर लाल स्याही से गोला कर वांछित संशोधन किया जाए एवं अपने हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की एक लाइन की मुहर लगाए। तत्पश्चात अंकतालिका की छाया प्रति व एसआर की छाया प्रति मय संशोधन की सूचना सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए। सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के मूल्यांकन पत्रक (टीआर) में संशोधन करने के पश्चात अपने ब्लॉक के समस्त संशोधनों को संकलित कर प्रधानाचार्य डाइट कुचामन सिटी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– 1 संशोधन करने के आदेश की दो प्रति।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाइट) कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांकः–डाइट/कुचा/5वी/2018/229 दिनांक 27.06.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है : –

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 जिला नागौर।
2. रक्षित पत्रावली।

प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाइट) कुचामन सिटी (नागौर)

कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्राशि / पविप / प्राशिपूप / परीक्षा परिणाम / 2018/69 दिनांकः 16.7.19

प्रधानाचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त, राजस्थान

विषयः– जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मुल्यांकन 2019 (कक्षा 5 हेतु) एवंम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 (कक्षा–8 हेतु) के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्र बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मुल्यांकन 2019(कक्षा 5) एवंम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019(कक्षा–8) के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्र आप को उपलब्ध करवा दिये गये है। यदि किसी छात्र का परिणाम अभी भी R.L. है अथवा परिणाम/प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित है तो इसका निस्तारण सम्बन्धित संस्था के शाला रिकार्ड/शाला प्रवेशांक पंजिका (एस.आर. रजिस्टर) से मिलान कर डाइट स्तर से कर छात्र को संशोधित प्रलेख जारी करें।

उक्त संशोधन के लिए सम्बन्धित प्रकरण के शाला रिकार्ड/शाला प्रवेशांक पंजिका (एस.आर.रजिस्टर) की एवं सशोंधित अंकतालिका मय प्रमाण पत्र की छायाप्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जमा कर, रिकार्ड (टी.आर.) में भी संशोधन करें।

कक्षा 5&8 की अंकतालिका संशोधन
हेतु मार्गदर्शन पत्र।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाऐ,
राजस्थान, बीकानेर